16/12/24

पत्रा. पेश हुई वकील आरोपी उपस्थित आरोपी उपस्थित अभियोजन साक्षी आगामी
के मुख्यपरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं आगामी
जरिये वकील आरोपी की प्रार्थना / प्रार्थना पत्र
आवेदन पत्र पेश हुआ ... 23/12/24 को

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:07 IST
Reason: SelfAttested

पी.ओ.

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6—7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान भीमसिंह बनाम बदनसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 115/2012

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—ब—रू ......— व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी ख.न. 4662 रकबे 0.13 वाके कबई द्वितीय पर वादीगण का वाद पत्र सिद्ध ना होने के कारण खारिज किया जाता है।

बैज — मुबलिग — — — — — — — बावत — — — — — — — — — — खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.01.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—————— 14/01/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:07 IST
Reason: SelfAttested

1. भीमसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई भरतपुर।
1/1 गोपाल सिंह पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/2 रविन्द्र सिंह पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/3 सुधा देवी पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/4 अर्चना देवी पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/5 सुनीता पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/6 गिलासी वेवा भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

—वादीगण

बनाम

1. बदन सिंह पुत्र भंवरी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबइ
2. जगवीर पुत्र परभाती जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
3. बादामसिंह पुत्र भंवरी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
4. बृजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
5. राजवीर पि0 मंगू जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
6. चन्द्रपाल पि0 मगू जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
7. सुमरन पि0 खिल्ला उर्फ खिल्लू जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
8. महेन्द्र पि0 खिल्ला उर्फ खिल्लू जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
9. छीतर पि. रतनी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
10. हम्मीर पि. रतनी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
11. मोहन सिंह पि0 रतनी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
12. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह उर्फ श्याम लाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
13. वेदप्रकाश पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
14. कुशलपाल पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई हाल आबाद मालवीय नगर सेक्टर नं. 14 झीया हॉस्पीटल के सामने वाली रोड जयपुर
15. सतवीर पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
16. रामू पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
17. परमवीर उर्फ पप्पी पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई हाल आबाद कृष्ण नगर मकान नं0 104 भरतपुर मृतक
17/1 वंदना बेवा परमवीर उर्फ पप्पी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
17/2 करन पुत्र परमवीर उर्फ पप्पी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
18. छउंआ उर्फ कृष्ण पाल पुत्र हरख्याल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई मृतक
18/1 प्रताप सिंह पुत्र छउंआ उर्फ कृष्ण पाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
18/2 गनपत सिंह पुत्र छउंआ उर्फ कृष्ण पाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
18/3 रनधीर सिंह पुत्र छउंआ उर्फ कृष्ण पाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
18/4 मन्नू पुत्र छउंआ उर्फ कृष्ण पाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
19. मान सिंह पुत्र रामा जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
20. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:07 IST
Reason: SelfAttested

14/1/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 115/2012
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2012/0068
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 14.01.2025

1. भीमसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई भरतपुर।
1/1 गोपाल सिंह पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/2 रविन्द्र सिंह पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/3 सुधा देवी पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/4 अर्चना देवी पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/5 सुनीता पि. भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
1/6 गिलासी वेवा भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

—वादीगण

बनाम

1. बदन सिंह पुत्र भंवरी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबइ
2. जगवीर पुत्र परभाती जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
3. बादामसिंह पुत्र भंवरी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
4. बृजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
5. राजवीर पि0 मंगू जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
6. चन्द्रपाल पि0 मगू जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
7. सुमरन पि0 खिल्ला उर्फ खिल्लू जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
8. महेन्द्र पि0 खिल्ला उर्फ खिल्लू जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
9. छीतर पि. रतनी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
10. हम्मीर पि. रतनी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
11. मोहन सिंह पि0 रतनी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
12. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह उर्फ श्याम [illegible] जाति जाट कबई तहसील नदबई
13. वेदप्रकाश पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
14. कुशलपाल पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई [illegible] आबाद मालवीय नगर सेक्टर नं. 14 झीयम [illegible] वाली रोड जयपुर
15. सतवीर पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
16. रामू पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:07 IST
Reason: Self Attested

14/01/25

17. परमवीर उर्फ पप्पी पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई हाल आबाद कृष्ण नगर मकान नं0 104 भरतपुर मृतक

17/1 वंदना बेवा परमवीर उर्फ पप्पी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

17/2 करन पुत्र परमवीर उर्फ पप्पी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

18. छउंआ उर्फ कृष्ण पाल पुत्र हरख्याल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई मृतक

18/1 प्रताप सिंह पुत्र छउंआ उर्फ कृष्ण पाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

18/2 गनपत सिंह पुत्र छउंआ उर्फ कृष्ण पाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

18/3 रनधीर सिंह पुत्र छउंआ उर्फ कृष्ण पाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

18/4 मन्नू पुत्र छउंआ उर्फ कृष्ण पाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

19. मान सिंह पुत्र रामा जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई
20. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड.(वादी की ओर से)

उपस्थित श्री रामकिशन गुर्जर प्रतिवादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुकदमा लडने के योग्य न हो।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4662 रकवा 0.13 बाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें वादी अपने पिता सूरनमल के साथ संवत 2012 से पूर्व से ही खातेदार की तरह काबिज चला आ रहा है।
3. यह है कि विवादित आरजी वर्णित चरण मद संख्या 2 वाद पत्र की आराजी परवादी अपने पिता सूरजमल के साथ संवत 2012 के पूर्व से ही खातेदार की तरह काबिज चला आ रहा है।उक्त आराजी में वादी का गैतवाडा बना हुआ है। उक्त आराजी का वादी अपनी [illegible] जिसे रखने व भूसा आदि रखने व पशु धन बांधने व लडामनी [illegible] पशुओं को बांधने के काम में लेता चला आ रहा है। उक्त आराजी [illegible] वादी के दो पूर्वजों की समाधि बनी हुई है। तथा वादी [illegible] द्वारा लगाये हुए पुराने छायादार वृक्ष लगे हुए है।जिसकी चारों [illegible] की वाउन्ड्री द्वारा कराई हुई है। इस तरह वादी आराजी विवादित को गैतवाड़ा के रूप में संवत 2012 से पहले से ही अपने उपयोग में लेता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:07 IST
Reason: SelfAttested

14/01/25

4. यह है कि विवादित आराजी ख.न. 4662 रकबा 0.13 वाके कबई पर प्रतिवादी स. 1 व 3 व 4 अन्य मृतक सह खातेदारन के नाम गलत रूप से खातेदारी रूप में चले आ रहे है। अन्य मृतक सह खातेदारान को मुकदमा पक्षकार बनाया गया है।

5. यह है कि प्रतिवादी स. 1, 3, 4 व अन्य प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम विवादित आराजी ख.न. 4662 रकबा 0.13 वाके कबई द्वितीय पर इन्द्राजात खातेदारी जो कि गलत तरीके से चली आ रही है कि बिनाय पर प्रतिवादीगण स. 1 ल. 19 वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने के प्रयास में है। वादी कि विवादित आराजी में स्थित गैतवाड़ा में तोड़फौड़ करने का प्रयास किया तथा एक दीवाल तोड दी तथा वादी की दो बुर्जियों में से भूस को जबरन लट्ठ के बल पर चुरा कर ले गये।

6. यह है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम चले आ रहे हाल राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज खातेदारी को, जो गलत तरिके से चली आ रही है, से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है। अतः वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 4662 रकवा 0.13 वाके ग्राम कबई द्वितीय की आराजी पर अपने आप को खातेदार काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है । प्रतिवादी द्वारा वाके कबई पर दिनांक 24.09.2011 को वादी का धमकी दी गई कि आराजी जो गलत तरिके से चली आ रही हैं। उसे बेदखल कर देगे। एवं गैतवाडा को तोड–फोडकर नष्ट कर देगे। अतः वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

7. अन्त में वादी ने प्रार्थना कि है कि वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 4662 रकबे 0.13 वाके कबई द्वितीय का खातेदार काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 अन्य प्रतिवादीगणों के पूर्वजों के मृतक के नाम चले आ रहे है। इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व 5 लगायत 11 व 13, 15 की ओर से श्री रामकिशन गुर्जर एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगणों के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 11, 13 व 15 की ओर से जबाब दावा पेश करने को बार–बार अवसर दिये गये उसके बावजूद भी इनकी और से जबाब पेश नही किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत कि गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2065–69 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श 1, नकल खसरा गिरदावरी टी[illegible] संवत 2004 से 2007 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श 2, नकल [illegible] क्षे[illegible]ल संवत 2028 वाके कबई द्वितीय प्रदर्श 3, नकल भूप्रबंधक विभाग [illegible]न क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श 4, नकल खसरा गिरदावरी संवत [illegible] प्रदर्श 5, एवं नकल फोटो प्रति मौका पर्चा दिनांक 30.05.2011 पेश किये [illegible] तथा मौखिक बयान के रूप में गोपालसिंह पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी कबई एवं ओमप्रकाश पुत्र परभाती जाति जाअ निवासी कबई पेश किया गया जिनसे जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.01.23 14:42:07 IST
Reason: Self Attested

14/01/25

वकील प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष पेश नहीं किया गया।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत 2065–69, वाके ग्राम कबई प्रदर्श–1 जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर 4662 रकवा 0.13 हैक्टे. पर बदनसिंह, परभाती, बादामसिंह, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान भंवरी, भोंरी वेवा भंवरी हिस्सा बरावर, सरूप बल्द छत्तर , खिल्ला बल्द किशन, रतनी बल्द गोकल, श्याम बल्द टीकम, हरख्याल बल्द सुन्दर, छउआ बल्द हरख्याल कौम जाट साकिन देह खातेदारी का अंकन हो रहा है। जो कि प्रतिवादीगण के खातेदारी में है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 4662 रकवा 0.13 किस्म गै0मु0 चाह दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार संवत 2060 में 3939 रकवा 0.10 व सैटलमेन्ट संवत 2028 में खसरा नम्बर 3146 रकवा 0.16 मिन से बने है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों के अलावा अन्य किसी प्रकार की जमाबंदी संवत 2028 व 2060 के बाद व पूर्व की पेश नहीं की गई है। जिससे साबित होता हो कि आराजी गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही हो, वादी द्वारा केवल खसरा गिरदावरी पेश की गई जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर बसरसदर लिखा है। मुताबिक जमाबंदी हिस्सेदार संवत 2011 की जमाबंदी में चिरंजी, भंवरी, हरख्याल सामलात खेवट है। भंवरी प्रतिवादीगण के पिता हैं जो प्रतिवादीगण है। पत्रावली मे मौजूद मौका रिपोर्ट में भी वितादित आराजी पर रहवास आवास बने हुऐ है। जो आराजी रहवास के काम आ रही है। विवादित आराजी आबादी के अन्तर्गत है। वर्तमान में विवादित आराजी गैर मुमकिन चाह कि आराजी है। कुॅए आबादी में वादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, ना ही वादीगण द्वारा विवादित आराजी कि किस्म परिवर्तन कराया गया है कब्जे के आधार पर उस पर खातेदारी चाही जा रही है। इसके बलावा वादी द्वारा अपने ब्यान में भी बताया कि उक्त विवादित भूमि पर वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। एवं आराजी पर रहवास होना भी बताया है। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र काबिल खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी ख.न. 4662 रकबे 0.13 वाके कबई द्वितीय पर वादीगण का वाद पत्र सिद्ध ना होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर